विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 30 जून, 2010

संख्या एल0एल0आर0–डी0(6)–16/2010 लेज.––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 29–6–2010 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश संख्यांक 2) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं ।

आदेश द्वारा,

(अवतार चन्द डोगरा)
सचिव (विधि)।

2010 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 2

हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन अध्यादेश, 2010

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल द्वारा प्रस्थापित ।

हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रस्थापित करती है :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––(1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन अध्यादेश, 2010 है ।

(2) यह प्रथम जनवरी, 2006 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. नई धारा 3–क का अंतःस्थापन.––हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2003 (2003 का 13) (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के पश्चात निम्नलिखित नई धारा अन्तः स्थापित की जाएगी अर्थातः–

"3–क अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति–राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, अनुसूची का संशोधन या प्रतिस्थापन कर सकेगी और ऐसा होने पर अनुसूची तदनुसार संशोधित की गई समझी जाएगी ।"

3. अनुसूची का प्रतिस्थापन.––मूल अधिनियम से संलग्न विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थातः–

"अनुसूची"
(धारा 3 देखे)

न्यायिक अधिकारियों के विभिन्न संवर्गों के लिए वेतनमानः

1. **सिविल न्यायाधीश जूनियर डिवीजनः**

(क) प्रारम्भिक वेतनमान :
27,700–770–33090–920–40540–1080–44770 रुपये।

(ख) पांच वर्ष की सेवा के पश्चात, प्रथम चरण एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन वेतनमानः 33090–920–40540–1080–45850 रुपये

(ग) अन्य पांच वर्ष की सेवा के पश्चात द्वितीय चरण एश्योर्ड कैरियर प्रोगेशन वेतनमान : 39530–920–40450–1080–49090–1230–54010 रुपये ।

2. **सिविल न्यायाधीश सीनियर डिवीजनः**

(क) प्रारम्भिक वेतनमान :
39530–920–40450–1080–49090–1230–54010 रुपये।

(ख) पांच वर्ष की सेवा के पश्चात प्रथम चरण एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन वेतनमानः 43690–1080–49090–1230–56470 रुपये ।

(ग) अन्य पांच वर्ष की सेवा के पश्चात, द्वितीय चरण एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन वेतनमान : 51550–1230–58930–1380–64070 रुपये ।

3. **जिला न्यायाधीश संवर्गः**

(क) प्रारंभिक वेतममान :
51550–1230–58930–1380–63070 रुपये ।

(ख) चयन ग्रेड (काडर के पच्चीस प्रतिशत अधिकारियों को उपलब्ध) :
57700–1230–58930–1380–67210–1540–70290/– रुपये ।

(ग) सुपर टाईम वेतनमान (काडर के दस प्रतिशत अधिकारियों को उपलब्ध) :
70290–1540–76450/– रुपये ।

उर्मिला सिह,
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश ।

ए. सी. डोगरा
सचिव विधि ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H.P. ORDINANCE NO. 2 of 2010

THE HIMACHAL PRADESH JUDICIAL OFFICERS (PAY, ALLOWANCES AND CONDITIONS OF SERVICES) AMENDMENT ORDINANCE, 2010

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay, Allowances and Conditions of Services) Act, 2003 (Act No.13 of 2003).

WHEREAS the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

1. Short title and commencement.—(1) This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay, Allowances and Conditions of Services) Amendment Ordinance, 2010.

(2) It shall be deemed to have come into force on 1st day of January, 2006.

2. Insertion of new section 3-A.—After section 3 of the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay, Allowances and Conditions of Service) Act, 2003 (13 of 2003) (hereinafter referred to as the "principal Act", the following new section shall be inserted, namely :—

"3-A. Power to amend Schedule: The State Government may, by notification published in the Official Gazette, amend or substitute the Schedule, and thereupon the Schedule shall be deemed to have been amended accordingly.".

3. Substitution of SCHEDULE.—For the existing Schedule appended to the principal Act, the following Schedule shall be substituted, namely:—

SCHEDULE
(*See* section 3)

The Pay Scales for different cadre of the Judicial Offierrs :

1. **Civil Judge (Junior Division):**

   (a) Initial Scale:
   Rs. 27,700-770-33090- 920- 40540-1080-44770.

   (b) First stage Assured Career Progression Scale after five years of service:
   Rs.33090-920-40540-1080-45850.

   (c) Second stage Assured Career Progression Scale after another five years of service:
   Rs.39530-920-40450-1080-49090-1230-54010.

2. **Civil Judge (Senior Division):**

   (a) Initial Scale:
   Rs.39530-920-40450-1080-49090-1230-54010

   (b) First stage Assured Career Progression Scale after five years of service:
   Rs. 43690-1080-49090-1230-56470.

(c) Second stage Assured Career Progression Scale after another five years of service : Rs. 51550-1230-58930-1380-63070.

3. District Judges Cadre:

(a) Initial Scale:
Rs. 51550-1230-58930- 1380-63070.

(b) Selection Grade: (Available to 25% Offiers of the cadre)
Rs.57700-1230-58930-1380-6721-1540-70290.

(c) Super Time Scale: (Available to 10% Offiers of the cadre)
Rs.70290-1540-76450.

URMILA SINGH,
Governor,
Himachal Pradesh.

(A.C. Dogra),
Secretary (Law).